3

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :–36/**2023–24**

संजीदा खातुन वगै0

बनाम

मो0 खालिद वगै0

16.5.24

1. अपीलार्थी संजीदा खातुन पति–स्व0 अब्दुल रसीद 2. मुस्तफिद हसन 3. फिरदौस हसन 4. राशिद हसन 5. रिफद जहान सभी के पिता–स्व0 अब्दुल रसीद पता–उस्ताद मुहल्ला गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–22/2016–17 दिनांक–01.03. 2023 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर रिवीजन दायर किया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

2. अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है मूल दाखिल खारिज वाद सं0–394 आर 27/2010–11 से उत्तरवादी मो0 खालीद वगैरह द्वारा अपीलार्थी को बगैर जानकारी दिए वो बगैर पक्षकार बनाये मौजा–उस्ताद मुहल्ला गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के खाता सं0–280 प्लॉट सं0–338 एवं 339 कुल रकबा–0.32 एकड़ के लिए उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिये परन्तु धोखा धड़ी करते हुए प्रश्नगत भूमि खाता सं0–280 प्लॉट–438 रकबा–0.19 एकड़ एवं प्लॉट सं0–439 रकबा–0.13 एकड़ भूमि का उत्तराधिकारी दाखिल खारिज सही तथ्य को छिपाते हुए तथा न्यायालय को धोखे में रखकर गलत रुप से उत्तराधिकारी दाखिल खारिज अपने नाम से करा लिया जबकि अपीलार्थी का मकान प्लॉट सं0–438 रकबा–0.07½ एकड़ में अवस्थित है जिसपर दाखिल खारिज वाद सं0–394 आर 27/2010–11 में अंचल अधिकारी वो अंचल के जाँच प्रतिवेदन में कोई चर्चा नही किया गया है। प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज की प्रकृति उत्तराधिकारी है इसलिए यह समझना अति आवश्यक है कि भूमि का Origin कहाँ से है, तथा कैसे यह पक्षकारो की पुरखौती .जायदाद है। पक्षकारगण मुस्लिम है, तथा अचल सम्पति के उत्तराधिकारी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ से गाईड होते है। पक्षकारगण के पूर्वज मो0 बाकर अली थे उनसे पक्षकारो का वंशावली निम्न प्रकार है:–

मो0 बाकर

मो0 ताहिर — प्रथम पत्नी नजीवन निशा, द्वितीय पत्नी रेशमा बीबी

हमीदा बेगम — मो0 इब्राहिम

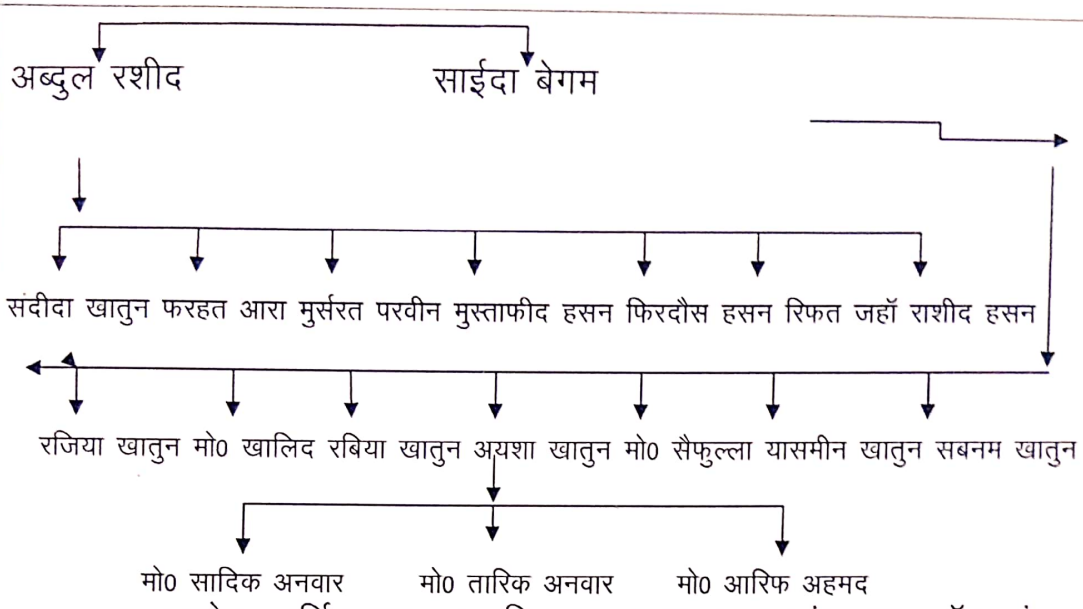

3. उपरोक्त वर्णित प्रश्नगत भूमि आर0 एस0 खाता सं0–280 प्लॉट सं0–438 रकबा–0.19 एकड़ एवं प्लॉट सं0–439 रकबा–0.13 एकड़ कुल रकबा–0.32 एकड़ सी0 एस0 खाता सं0–150 प्लॉट सं0–340 एवं सी0 एस0 खाता सं0–152 प्लॉट सं0–342 एवं 343 तथा सी0 एस0 खाता सं0–41 प्लॉट सं0–341 से बना है। सी0 एस0 खाता सं0–150 मो0 ताहिर पिता–मो0 बाकर तथा सी0 एस0 खाता सं0–152 नजीवन निशा पति मो0 ताहिर एवं सी0 एस0 खाता सं0–41 प्लॉट सं0–341 मो0 ताहिर तथा उसकी पत्नी की स्वंय अर्जित सम्पति थी। पक्षकारगण के पूर्वज मो0 ताहिर वो नजीवन निशा की मृत्यु रिवीजनल सर्वे वर्ष–1932 के पूर्व हो गई थी। नजीवन निशा से मो0 ताहिर को कोई संतान नही था। दूसरी बीबी रेशमा बीबी से मो0 ताहरि का एक पुत्री हमीदा बेगम वो मो0 ईब्राहिम नाबालिंग थे, तथा दोनो पर्दानशीम अपीन मॉ रेशमा बीबी के Guardianship में थे। आर0 एस0 सर्वे के दरमियान रेशमा बीबी के पर्दानशीन वो अशिक्षित होने की वजह से सर्वे अमीन तथा कर्मचारी से मुलाकात नही हो सका तथा सर्वे Operation के दरमियान सर्वे अमीन वो कर्मचारी के गलती के कारण मात्र मो0 ईब्राहिम के नाम से आर0 एस0 खतियान खाता सं0–280 बना। It is Settled Principle of Law That Under Section 103-B Of Bihar Tenancy Act. 1885-Records of Rights is Not Document of Title And Entries in Such Document Do Not Prove Exclusive Title of A Person So Recorded(Relied on-1966 BLJR 761) मो0 ईब्राहिम का उम्र वर्ष–1932 में मात्र 05–10 वर्ष था इस बात का प्रमाण भोटरलिस्ट वर्ष–1997 का है, जिसमें मो0 ईब्राहिम का उम्र वर्ष 1997 ई0 में 75 वर्ष की आयु दर्शाया गया है। उत्तरवादीगण का यह कथन की मो0 ईब्राहिम का प्रश्नगत भूमि स्वअर्जित सम्पति है। मो0 ईब्राहिम कोई हकियत TITLE का दस्तावेज जमा नही किया गया है, जो प्रश्नगत भूमि मो0 ईब्राहिम की स्वअर्जित सम्पति है। माननीय उच्चत्म न्यायालय द्वारा अपने न्यायदेश में अवधारित किया है कि Non – Production of Documents-Adverse Inference Can Be Drawn. Issue Of Drawing Adverse Inference is Required To Be Decided By Court Considering Pleading Of The Parties

Scanned with OKEN Scanner

And By Deciding Whether any Document/Evidence, Withheld Has Any Relevance At All Or Omission of Its Production Would Directly Establish The Case of The Other Side (Relied on-2013(1) JLJR Sc-30)

4. उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि सभी प्रश्नगत भूमि पक्षकारों के पूर्वज मो0 ताहिर वो उनकी बेगम की थी। हमिदा बेगम तथा मो0 ईब्राहिम संयुक्त रुप से उत्तराधिकारी के तौर पर मो0 ताहिर वो नजीवन निशा की मृत्युपरान्त प्राप्त किया। सर्वे के समय हमिदा बेगम वो मो0 ईब्राहिम नाबालिंग थे प्रश्नगत भूमि का 1988 विक्रम संवत् (सन्–1931) का जमींदारी रसीद जो आर0 एस0 सर्वे के पूर्व की है, दाहिन्दा मो0 रेशमा बीबी है, तथा जमींदारी रसीद संवत् 1992–93 (सन्–1935) में दाहिन्दा में नाम मो0 रेशमा बीबी है। आर0 एस0 सर्वे के समय मो0 रेशमा बीबी अपने नाबालिंग बच्चों हमिदा बेगम वो ईब्राहिम का नैसर्गिक Guardion थी तथा दोनों बच्चे अपनी माँ के Guardianship में पल बढ़ रहे थे।

5. हमिदा बेगम का निकाह अब्दुल हमिद पिता–जाफर अली साकिन नाथनगर भागलपुर थाना–भागलपुर जिला–भागलपुर के साथ हुई थी, चूंकि मो0 ईब्राहिम का देख भाल के लिए कोई पुरुष सदस्य नही था। अब्दुल हमिद घरदामाद के तौर पर गुमला में ही रह गये तथा मो0 ईब्राहिम का देख भाल अब्दुल हमिद Guardian के तौर पर करने लगे। मो0 ईब्राहिम का विवाह वर्ष–1951–52 में हुई तथा रेशमा बीबी का देहान्त वर्ष 1959–60 में हुई उसके पश्चात हमिदा बेगम को अपने भाई मो0 ईब्राहिम से दोख्तरी हिस्सा कुल–0.32 एकड़ में से प्लॉट सं0–438 रकबा–0.08½ एकड़ तथा प्लॉट सं0–439 रकबा–0.02 एकड़ कुल रकबा–0.10½ एकड़ भूमि प्राप्त हुई। इस्लामिक विधि के मुताबिक भाई को दो तिहाई भूमि मिलता है, जबकि बहन को एक हिस्सा भूमि मिलता है। हमिदा बेगम को कुल–0.32 एकड़ में से 0.10½ एकड़ भूमि दोख्तरी हिस्सा में प्राप्त हुआ एवं मो0 ईब्राहिम को 0.21½ एकड़ भूमि हिस्सा में मिला। दोख्तरी हिस्सा में प्राप्त भूमि में जानिब पूरब तरफ हमिदा बेगम वो अब्दुल हमिद ने प्लॉट सं0–438 में 0.07 एकड़ भूमि में वर्ष–1960–61 में मकान बनाकर सपरिवार अलग रहने लगे।

6. अपीलार्थी के नाम जानिब पूरब तरफ के बगलगीर मो0 फिरोज आलम के बटवारा पट्टा सं0–1701 / 09 में अपीलार्थी के पिता अब्दुल रशीद का मकान है। अपीलार्थीगण का मालिकाना हक प्रश्नगत भूमि में अपने हिस्से में है। मो0 ईब्राहिम अपने जीवन काल में अपनी बहन हमिदा बेगम को दोख्तरी हिस्सा देने के पश्चात खुद पंजी ii में अपनी बहन का नाम कुर्सीनामा में दर्ज कराया है। हमिदा बेगम तथा अब्दुल हमीद के देहान्त के पश्चात पुत्र अब्दुल रशीद एवं पुत्री साईदा बेगम माता को 0.10½ एकड़ में अवस्थित मकान में हक दखल में आये। अपीलार्थीगण का मकान प्रश्नगत भूमि 0.07½ एकड़ में बना हुआ है इस बात की पुष्टि अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन एम0 पी0 वाद सं0–68 / 2016–17 में अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला को समर्पित प्रतिवेदन से होता है। दाखिल खारिज वाद सं0–394आर27 / 2010–11 में अपीलार्थी अब्दुल रशीद का मकान प्रश्नगत भूमि में अवस्थित था तो दाखिल खारिज वाद सं0–394 आर 27 / 2010–11 में अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाया गया तथा आवश्यक पक्षकार की अनुपस्थिति में उत्तरवादीगण धोखा–धड़ी से

अपीलार्थीगण को बगैर जानकारी दिये उक्त दाखिल खारिज वाद में अपने पक्ष में स्वीकृत करा लिए।

7. उत्तरवादीगण का कुल रकबा–0.32 एकड़ भूमि में वर्ष–1959–60 के बाद दखल भी नही है मात्र उनका दखल हिस्सा में प्राप्त 0.21½ एकड़ भूमि में है जिसमें उनका मकान बना हुआ है। दाखिल खारिज अपील वाद सं0–22/2016 में सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य प्राप्त है। सरकारी अधिवक्ता द्वारा मंतव्य समर्पित करने के पूर्व उपरोक्त तथ्यों को विचार नही किया गया है। हमिदा बेगम को दोख्तरी हिस्सा में प्राप्त 0.07 एकड़ भूमि में मकान है। 2004(3) जे0 सल0 आर0 653 में प्रतिपादित करता है कि Under Mohamadan Law on The Death of Father A Daughter is The Sharer In Her Own Right And Inheritence Is Vested Right. म्यूटेशन लॉ में प्रतिपादित किया गया है कि For Mutation Legal Possession is Necessary.Complication of Title Cannot Be Determined. उत्तरवादी का कुल रकबा–0.32 एकड़ भूमि में Lawful Possession था ही नही तो उनके नाम प्रश्नगत कुल रकबा–0.32 एकड़ भूमि का उत्तराधिकारी दाखिल खारिज होना अवैध है। दाखिल खारिज वाद सं0–394 आर 27/2010–11 एवं दाखिल खारिज अपील वाद सं0–22/2016 में आदेश पारित करने से पूर्व विधिक पूर्ण विचारण नही हुआ है तथा अपीलार्थीगण के हिस्से का भूमि का दाखिल खारिज उत्तरवादीगण धोखा–धड़ी से करा लिये है।

अपीलार्थीगण के द्वारा निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. जमींदारी रसीद की छाया प्रति।
2. चौकीदारी रसीद की छाया प्रति।
3. नगर पालिका रसीद की छाया प्रति।
4. चौकिदारी रसीद की छाया प्रति।
5. सादा बिक्रीनामा दिनांक–18.05.1918 की छाया प्रति।
6. दाखिल खारिज वाद सं0–394 आर 27/2010–11 का आदेश फलक एवं जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति।
7. पंजी ii की छाया प्रति।
8. सी0 एस0 खतियान खाता सं0–150, 152 एवं 41 की छाया प्रति।
9. आर0 एस0 खतियान खाता सं0–280 की छाया प्रति।
10. ट्रैस नक्सा की छाया प्रति।
11. एम0पी0 वाद सं0–68/2016 में समर्पित अंचल का जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति।
12. बिजली बिल की छाया प्रति।
13. सुलभ शौचालय का रसीद

उत्तरवादी का पक्ष

24. उतरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि म्यूटेशन रिवीजन वाद में सन्निहित भूमि खाता सं0–280 प्लॉट सं0–438 रकबा–0.19 एकड़ वो प्लॉट सं0–439 रकबा–0.13 एकड़ कुल रकबा–0.32 एकड़ भूमि उस्ताद मुहल्ला गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला में अवस्थित है। प्लॉट सं0–438 की 0.03 एकड़ भूमि उत्तरवादीगण द्वारा कमरुन निशा को बिकी की जा चुकी है। निम्न न्यायालय द्वारा प्लॉट सं0–438 में रकबा–0.19 एकड़ के स्थान पर 0.16 एकड़ लिखा गया है जो सही है। उत्तरवादीगण के नाम पर 0.29

Scanned with OKEN Scanner

एकड़ भूमि की रसीद कट रही है। प्रश्नगत भूमि का खतियान रिवीजन सर्वे में सैरुयद मो0 ईब्राहिम पिता–सैरुयद मो0 ताहिर के नाम पर अकेले बना है। खतियानी रैयत सैरुयद मो0 ईब्राहिम का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है:–

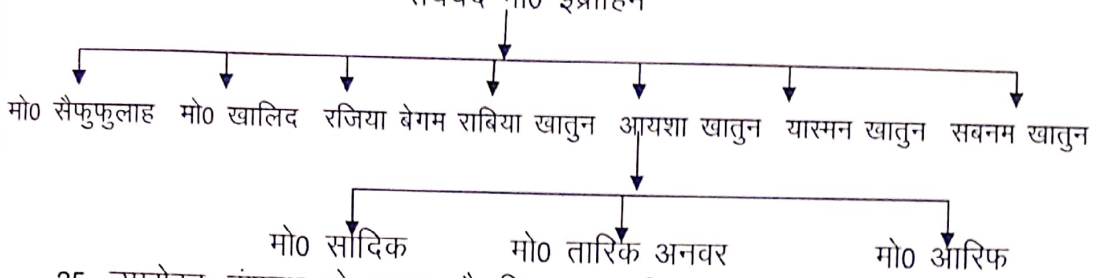

25. उपरोक्त वंशवृक्ष से सपष्ट है कि उत्तरवादीगण खाता सं0–280 के खतियानी रैयत सैययद मो0 ईब्राहिम के विधिक उत्तराधिकारी है। वर्ष–1933 में रिवीजन सर्वे खतियान बनने के पूर्व से ही सैरुयद मो0 ईब्राहिम उपरोक्त भूमि के वास्तविक मालिक थे तथा उसपर शान्ति पूर्वक दखलकार रहे उसी अनुसार उनका नाम खतियान में अकेले दर्ज था। खतियानी रैयत सैययद मो0 ईब्राहिम जब–तक जीवित रहे उक्त भूमि पर दखलकार रहे तथा जमींदारी के दरम्यान वे जमींदार को अपने नाम पर मालगुजारी अदा करते थे तथा जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात सरकार द्वारा भी उन्हे रैयत मानते हुए उनके नाम पर जमाबंदी कायम कर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत की जाने लगी तथा पंजी ii में भी उन्ही का नाम दर्ज है। सैययद मो0 ईब्राहिम जबतक जीवित रहे आजीवन उपरोक्त भूमि पर दखलकार रहे तथा स्वंय के नाम पर मालगुजारी अदा करते रहे। उनकी मृत्यु वर्ष–1997 में उत्तरवादीगण को छोड़कर हुई।

26. उनकी मृत्यु के पश्चात उनके सभी वारिश उत्तरवादीगण उनके विधिक उत्तराधिकारी के हैसियत से अपना दखल कायम रखे तथा उत्तरवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम पर दाखिल खारिज वाद सं0–394आर27/2010–11 दिनांक–07.07.2010 के द्वारा करवाकर सरकार को अपने नाम पर मालगुजारी अदा करते चले आ रहे है। अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि व मकान से किसी प्रकार संबंधित नही है और उत्तरवादीगण ही प्रश्नगत भूमि व मकान के वास्तविक मालिक है। निम्न न्यायालय में अपील वाद एवं म्यूटेशन रिवीजन उत्तरवादीगण को परेशान करने हेतु लाया गया है। अपीलार्थीगण का यह कथन कि खाता सं0–280 का रिवीजन सर्वे का खतियान कैडेस्ट्रल सर्वे के खाता सं0–150, 152 एवं 41 से बना है जबकि वास्तविकता है कि कैडेस्ट्रल सर्वे खाता सं0–150, 152 एवं 41 का किसी प्रकार का कोई संबंध रिवीजन सर्वे खाता सं0–280 से नही है। अपीलार्थीगण का यह कथन कि खाता सं0–280 प्लॉट सं0–438 रकबा–0.19 एकड़ एवं प्लॉट सं0–439 रकबा–0.13 एकड़ भूमि में से 0.10 ½ एकड़ भूमि हमीदा बेगम जो अपीलार्थी सं0–1 की सास व अपीलार्थी सं0–02 से 05 की दादी थी को दोखत्री में मिली थी।

27. अपीलार्थीगण का यह कथन बिलकुल गलत है। खाता सं0–280 की भूमि का खतियान केवल सैययद मो0 ईब्राहिम के नाम पर अकेले बना है तथा हमीदा बेगम उनकी बहन थी। बहन को मुस्लिम लॉ के अनुसार किसी प्रकार का कोई भी अधिकार अपने भाई की सम्पति में नही होता है। अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष–1933 में पूर्णतः प्रकाशित हुए खतियान के विरुद्ध निम्न न्यायालय में व श्रीमान के न्यायालय में दावा किया जा रहा है जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। वर्ष 1970 के लगभग हमीदा बेगम अपने परिवार के साथ अपने ससुराल भागलपुर बिहार से गुमला आई तथा अपने भाई सैययद मो0 ईब्राहिम को अपनी

Scanned with OKEN Scanner

गरीबी के संबंध में बताई तथा अपने भाई से उनके लिए घर इंतजाम करने हेतु कहा व घर का किराया भुगतान करने में असमर्थता जताई। सैययद मो0 ईब्राहिम द्वारा उन्हे प्लॉट सं0–430 के रकबा–0.03 एकड़ भूमि पर बने मकान में रहने हेतु दिया गया तथा उसपर हमीदा बेगम सैययद मो0 ईब्राहिम के सहमति से अपने परिवार सहित रहने लगी तथा सैययद मो0 ईब्राहिम की मृत्यु के पश्चात वर्त्तमान उत्तरवादीगण की सहमति से अपीलार्थीगण रह रहे है।

28. अपीलार्थीगण का उक्त भूमि व मकान को हड़पने की कुत्सिता मंशा उत्पन्न हो चुकी है, तथा फर्जी दस्तावेज बना कर उत्तरवादीगण की भूमि व मकान को हड़पना चाहते है। वर्ष 1933 में खतियान बनने के बाद अपीलार्थीगण द्वारा पहली बार वर्ष–2016 में प्रश्नगत भूमि पर दावा किया जाने लगा और मनगढ़ंत बातों को आधार बनाकर प्रश्नगत भूमि हड़पना चाहते है। उत्तरवादीगण के नाम पर जमाबंदी दिनांक–07.07.2010 के आदेश जो अंचल अधिकारी गुमला द्वारा पारित आदेश के अधार पर कायम हुई है, तथा उक्त आदेश को अपीलार्थीगण द्वारा दावा करने का अधिकार नही है क्योकि वर्ष–1956 से सैययद मो0 ईब्राहिम के नाम पर जमाबंदी कायम थी। वर्ष 2010 के दाखिल खारिज आदेश को वर्त्तमान अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष–2016 में निम्न न्यायालय में चुनौती दी गई थी जबकि 1973 की धारा 15 के आधार पर उक्त आदेश के विरुद्ध मात्र 30 दिनों के अन्दर अपील दायर की जानी थी और अपीलार्थीगण द्वारा उक्त विलम्ब की माफी हेतु कोई आवेदन नही दिया गया था। उत्तरवादीगण द्वारा 0.03 एकड़ भूमि पर बने मकान जिसमें अपीलार्थीगण उत्तरवादीगण की अनुमति से रह रहे थे।

29. उनके निष्कासन हेतु उत्तरवादीगण द्वारा ओ0 एस0 वाद सं0–11/2021 दायर किया गया है जो सिविल जज सी0डी0–1 गुमला के न्यायालय में लंबित है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी वर्ष–1956 से उत्तरवादीगण व उनके पिता के नाम पर चल रही है तथा लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व न्यायालय द्वारा निरस्त नही की जा सकती है। खतियान जो वर्श–1933 में सैययद मो0 ईब्राहिम के नाम पर प्रकाशित हुआ है उसे भी लगभग 90 वर्षो बाद चुनौती नही दी गई है। निम्न न्यायालय द्वारा सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य की मांग की गई थी और उनके मंतव्य में भी उत्तरवादीगण के पक्ष को समर्थन मिला है।

उत्त्रवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है:–

1 टी0एस0 वाद सं0–05/2017 से संबंधित वाद पत्र की छाया प्रति
2 मौजा–गुमला का खाता सं0–280 का खतियान की छाया प्रति।
3 मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
4 पंजी ii की छाया प्रति।
5 सी0 आर0 09/2017 में पारित आदेश की छाया प्रति।
6 टी0 एस0 वाद सं0–11/21 का वाद पत्र की छाया प्रति।
7 नोटरी द्वारा दिया गया शपथ पत्र की छाया प्रति।
8 शुद्धि पत्र की छाया प्रति।
9 दाखिल खारिज जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति।
10 पंजी ii ऑनलाईन की छाया प्रति।
11 ऑनलाईन लगान रसीद की छाया प्रति।
12 गुमला युनियन बोर्ड टेक्स रिसिट की छाया प्रति।

Scanned with OKEN Scanner

13 गुमला नगर पालिक टैक्स रसीद की छाया प्रति।
14 J.C.R. 2001(3) Jhr. Page 206 की छाया प्रति।
15 J.C.R. 2003(2) Jhr. Page 134 की छाया प्रति।
16 J.L.J.R. 2003(2) Jhr. Page 708 की छाया प्रति।

उपरोक्त तथ्यों एवं दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुनने एवं समर्पित दस्तावेजों तथा निम्न अपीलीय न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि का विवाद Title से संबंधित है।

अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है। उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोषों पर विचार किए समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संबंधित अंचल अधिकारी को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.05 17:20:17 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner